



दिनांक: 04.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 16 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.08.2025 को वादी श्री रोहित यादव पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल UP11BW 5468 BAJAJ CT 100 चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 151/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/वाहन चोर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष गागलहेडी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित शातिर चोर/अभियुक्तगण 1. सुभाष पुत्र कोजीराम निवासी ग्राम गग्गर थाना किल्ले वाडी जिला मुख्तसर पंजाब व 2. गुरप्रीत पुत्र बिल्लूराम निवासी ग्राम गग्गर थाना किल्ले वाडी जिला मुख्तसर (पंजाब) को हिंडन नदी के पुल के पास माजरी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल UP11BW 5468 BAJAJ CT 100 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछने पर दोनों ने बताया कि ये मोटर साईकिल हमने कल दोपहर पेट्रोल पम्प के पास पंचर वाले की दुकान से चोरी की थी फिर हमने इसे एक खेत में अंदर खड़ी कर दी थी जिसे आज हम लोग ले जा रहे थे तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सुभाष पुत्र कोजीराम निवासी ग्राम गग्गर थाना किल्ले वाडी जिला मुख्तसर पंजाब
2. गुरप्रीत पुत्र बिल्लूराम निवासी ग्राम गग्गर थाना किल्ले वाडी जिला मुख्तसर पंजाब

बरामदगी का विवरण -

➤ अदद मोटर साईकिल UP11BW 5468 BAJAJ CT 100

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी स0पुर
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 रविकान्त गिरि थाना गागलहेडी स0पुर
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 शिव कुमार थाना गागलहेडी स0पुर
3. का0 2443 मौ0 यासीन थाना गागलहेडी स0पुर
4. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी स0पुर



दिनांक 04-08-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में **04 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.09.18 को वादी नरेश पुत्र विशम्बर निवासी जडौदा पांडा थाना बडगॉव जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ संजय पुत्र मोल्हड, 2. विरेन्द्र पुत्र विशम्बर, 3. विनीत पुत्र विरेन्द्र व 4. उमेश उर्फ टीटू निगण जडौदा पांडा थाना बडगॉव जिला सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र की गला घोट कर हत्या कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0स0-166/2018 धारा 302,34 भादवि के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-82/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **04.08.2025** को अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ संजय पुत्र मोल्हड, 2. विरेन्द्र पुत्र विशम्बर, 3. विनीत पुत्र विरेन्द्र व 4. उमेश उर्फ टीटू निवासीगण ग्राम जडौदा पांडा थाना बडगॉव जिला सहारनपुर को मु0अ0स0-166/2018 धारा 302,34 भादवि में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल शर्मा

विवेचक निरीक्षक श्री संजीव कुमार

पैरोकार का0 2540 देवजीत सिंह थाना बडगॉव जनपद सहारनपुर।